<u>वस्त्र मंत्रालय</u>

<u>मंत्रिमंडल के लिए मई, 2018 माह का मासिक सार</u>

1. नीतिगत निर्णय: शून्य

2. महत्वपूर्ण उपलब्धियां:

I. **<u>हथकरघा</u>:** घरेलू उपभोक्ताओं के मध्य हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने और हथकरघा बुनकरों को अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेचने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से मई, 2018 के दौरान दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का हैंडलूम एक्स्पो विपणन कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

बुनकर मुद्रा योजना के अंतर्गत हथकरघा बुनकरों को 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण 10,000 रुपए प्रति बुनकर की दर से मार्जिन मनी और तीन वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी, प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत अप्रैल, 2018 में 8.76 करोड़ रुपए मूल्य की स्वीकृत ऋण धनराशि के साथ 1899 ऋण मंजूर किए गए।

II. **<u>कपास</u>:** वर्तमान कपास मौसम 2017-18 (1 अक्तूबर, 2017 से 30 सितंबर, 2018 तक) में मई, 2018 के माह के दौरान कपास की अखिल भारतीय आवक 17.56 लाख गांठ थी। चूंकि मई, 2018 में कच्ची कपास का बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से अधिक रहा था, इसलिए भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी के अंतर्गत केवल 64 गांठों की खरीद की गई।

III. **<u>पटसन</u>**: 2017-18 मौसम के लिए कच्ची पटसन और मेस्टा के लिए अंतिम आपूर्ति - मांग परिदृश्य की समीक्षा और 2018-19 मौसम के लिए नई फसल की बुआई की संभावना के मूल्यांकन के लिए सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में दिनांक 02.05.2018 को पटसन सलाहकार बोर्ड की बैठक की गई थी।

सचिव (वस्त्र) ने पटसन पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 की धारा 4(2) में विनिर्दिष्ट मामलों की जांच करने और विचार करने तथा पटसन वर्ष 2018-19 के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में वस्तुओं की पैकिंग के लिए मापदंडों (अथवा आरक्षण) की सिफारिश करने के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 4(1) के अंतर्गत सरकार द्वारा स्थापित स्थायी सलाहकार समिति (एसएसी) की 26वीं बैठक की अध्यक्षता की। विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात एसएसी ने खाद्यान्न की पैकिंग के लिए शत प्रतिशत आरक्षण और कतिपय छूट के साथ पटसन बोरों में चीनी की पैकिंग के लिए 20% की सिफारिश की है।

IV. **<u>यार्न मूल्य</u>:** कपास हैंक यार्न का मूल्य अप्रैल, 2017 – मई, 2017 की तुलना में अप्रैल, 2018 – मई, 2018 के दौरान 6% तक बढ़ा है। कोन यार्न का मूल्य अप्रैल, 2017 – मई, 2017 की तुलना में अप्रैल, 2018 – मई, 2018 के दौरान 0.8% तक बढ़ा है।

V. **<u>टीयूएफएस</u>:** मई, 2018 के दौरान 1092.75 करोड़ रुपए की परियोजना लागत और 83.73 करोड़ रुपए की सब्सिडी आवश्यकता के साथ 240 यूआईडी जारी किए गए। टीयूएफएस के अंतर्गत विद्युतकरघा क्षेत्र की 30% मार्जिन मनी सब्सिडी: वर्ष 2018-19 (31.05.2018 तक) के दौरान 31.30 करोड़ रुपए की धनराशि के लिए 110 आवेदन मंजूर किए गए।

VI. **<u>संशोधित समूह वर्कशेड योजना</u>:** वित्तीय वर्ष 2017-18 तक संशोधित समूह वर्कशेड योजना के अंतर्गत जारी की गई सब्सिडी 93.19 करोड़ रुपए है। मई, 2018 और प्रगामी वर्ष 2018-19 के दौरान जारी की गई सब्सिडी 0.89 करोड़ रुपए है।

VII. **<u>विद्युतकरघा कामगारों के लिए समूह बीमा योजना</u>:** जीआईएस योजना के अंतर्गत मई, 2018 के दौरान विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा 18,935 विद्युतकरघा कामगारों का नामांकन किया गया।

VIII. **<u>समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना</u>:** माननीय वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 14.05.2018 को नई दिल्ली में योजना दिशानिर्देशों से हितधारकों को परिचित कराने के अतिरिक्त उनसे फीडबैक प्राप्त करने के लिए इस संबंध में हितधारकों की एक बैठक की गई थी। नई योजना का विस्तृत उद्देश्य कताई और बुनाई को छोड़कर वस्त्र की समग्र मूल्य श्रृंखला को शामिल करते हुए वस्त्र क्षेत्र में लाभदायक और स्थायी रोजगार के लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। माननीय वस्त्र राज्य मंत्री और सचिव (वस्त्र) ने भी हितधारकों को संबोधित किया।

IX. **<u>रेशम:</u>** सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में 17 मई, 2018 को नई दिल्ली में योजना के क्रियान्वयन संबंधी रूपरेखा पर चर्चा करने और कच्ची रेशम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 'सिल्क समग्र' एकीकृत रेशम उद्योग विकास योजना पर एक राष्ट्रीय स्तर की एक कार्यशाला आयोजित की गई।

X. **<u>अंतरर्राष्ट्रीय व्यापार</u>:** वस्त्र क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और उद्योग संघों सहित माननीय वित्त मंत्री, श्री पीयूष गोयल और माननीय वस्त्र मंत्री, श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी की एक बैठक दिनांक 27.05.2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस बैठक में वस्त्र आयुक्त ने भी भाग लिया।

****